Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 41/2022

Bibi Ansari Khatoon ..... Appellant.

Versus

Mohan Muni & Ors ..... Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	23.08.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, पूर्णिया द्वारा BLDR वाद सं0–125/2018–19 में दिनांक–18.12.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। उभय पक्षों द्वारा यह सूचित किया गया कि इस न्यायालय में सदृश मामले यथा–L.D. Appeal No.- 42/2022 (मो0 शमीम बनाम मोहन मुनी वगैरह), L.D. Appeal No.- 43/2022 (शेख समसुल), 44/2022 (मो0 मुस्तकीम), 45/2022 (मोईन एवं अन्य), 46/2022 (नजामुद्दीन), 47/2022 (मो0 गलिब एवं अन्य) तथा 48/2022 (मो0 रमजानी एवं अन्य) सुनवाई हेतु लंबित है जिसे एक साथ सुनवाई करने की प्रार्थना की गई। स्वीकृत। निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों का अवलोकन तथा समीक्षा किया। निम्न न्यायालय की आवेदिका बीबी अंसरी खातुन ने यह दावा किया है कि उक्त वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा–4 (1) में वर्णित है कि सुयोग्य बंदोबस्तधारी को आवंटित भूमि का दखल पुनः स्थापित कराना है। निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी पाया है कि भू–हदबंदी अधिसूचना सं0–892 दिनांक–01.02.1991 के द्वारा प्रश्नगत भूमि अधिशेष घोषित किया गया एवं प्रश्नगत भूमि का हराकार्ड आवेदिका के पति शेख उमर पिता–स्व0 सुल्तान के नाम से वाद सं0–04/1992–93 के आधार पर हुआ जिसका जमाबंदी लालकार्डधारी के नाम से कायम हुआ एवं लगान रसीद निर्गत है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अधिशेष घोषित होते हुए बंदोबस्त की गई है। ऐसे मामले में BLDR Act 2009 की धारा–6 में उल्लिखित कतिपय मामलों में जिसमें वाद का एक पक्षकार अधिनियम की धारा–2 के तहत् एक आवंटी या बंदोबस्तधारी हो, राज्य एक अनिवार्य पक्ष होगा। निम्न न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत् नहीं है। प्रमंडल अंतर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–सक्षम प्राधिकार द्वारा	

Web Copy Not Official.

		इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित करने का दृष्टांत प्रायः देखा जाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतः उपर्युक्त के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा, क्रमशः	
	23.08.2023 लगातार	पूर्णिया द्वारा पारित आदेश को अधिनियम के अनुरूप एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। प्रस्तुत मामले को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धमदाहा के समक्ष प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित सभी पक्षकारों सहित राज्य सरकार के पक्षों की भी सुनवाई करते हुए निर्धारित समय सीमान्तर्गत मुखर आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। इस वाद में पारित आदेश उपर्युक्त वर्णित सभी वादों में समान रूप से प्रभावी होंगे। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति प्रमंडल अंतर्गत सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–सक्षम प्राधिकार सहित सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.